

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)()का /एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 18/1887।

दिनांक : ३१/२/१८

— आदेश —

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं गंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत फायरमैन के रिक्त पदों पर नियुक्ति अध्यर्थियों को उनके नाम के समुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. स.	रोल नम्बर	अध्यर्थी का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1.	41426163953	श्रीमती अभिलाषा गुजर	टोक	01-03-1994	GEN	श्रीकरणपुर
2.	41744191252	श्री राजेन्द्र पाठीदार	बासवाडा	08-07-1995	TSP	प्रतापगढ़

01. अध्यर्थियों की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण सम्बन्धि प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अध्यर्थी की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण सम्बन्धि जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं गान्यता सम्बन्धि जांच संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की जाकर ही नियुक्ति आदेश जारी करावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिल्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
02. यह व्यनित अध्यर्थियों की सूची, अध्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अध्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्ति अध्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अध्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
03. फायरमैन पद पर व्यनित अध्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
04. अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से रवास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वारथ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफ.डी./रुल्स/2005 दिनांक 20.04.2006 गे वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिल्स रेग्युलेशन देय होगा।
06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं व्यनित अध्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवान या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
07. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही बहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
08. नगर निकायों को आवंटित व्यनित फायरमैन इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष गूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपरित्थि होगें जिसको रांबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत फायरमैन पद हेतु व्यनित अध्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

09. उक्त नियुक्ति कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
राजस्थान सचिव

दिनांक : श्री /३/।।८

क्रमांक : प.१(ग)()का / एस.एम.ई. / डी.एल.बी. / १८/१८८७२-८८६

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, रखा.शा.यि., राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, रखा.यत् शासन विभाग राज० जयपुर।
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद्/पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करायें।
04. समरत उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
05. अध्यक्ष/सचिव, राज्य रत्नीय राजस्थान नगर पालिका (आधीनरथ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज० जयपुर।
06. सूचना- एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को गोजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व रीएगेआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
07. कार्यालय आधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु प्रेषित है।
08. संबंधित कर्मचारी.....।
09. रुक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)